पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 4917 /अका./का.प/2024 रायपुर, दिनांक 20 /11/2024

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '93वाँ' बैठक गुरुवार दिनांक 28.11.2024 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.10.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना। (पृष्ठ क्र. 01 से 08 तक)**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. **प्रिन्टेड पुस्तकों की क्रय आपूर्ति/प्रदायता के लिए अनुबंधित फर्मों को राशि रुपए 13,11,022.00 (रुपए तेरह लाख ग्यारह हजार बाईस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

   टीपः प्रिन्टेड पुस्तकों की क्रय आपूर्ति/प्रदायता के लिए प्रकाशकों/विक्रेताओं के मनोनयन एवं दर अनुबंध हेतु निविदा क्र. 27/विकास//नि.सू./2024 रायपुर, दिनांक 12.01.2024 जारी किया गया था। उक्त निविदा में अनुबंधित फर्मों को पुस्तकें प्रदाय हेतु क्रयादेश जारी किया गया था। पुस्तकें आपूर्ति करने के पश्चात् भुगतान किये जाने वाले राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	फर्म का नाम	राशि (अंको में)
1.	Metro Book Pvt. Ltd., New Delhi	रु. 2,56,974.00
2.	Rishabh Books, New Delhi	रु. 2,10,630.00
3.	Aadi Books, Delhi	रु. 1,82,057.00
4.	Indica Publishers & Distributors Pvt. Ltd., New Delhi	रु. 1,93,577.00
5.	Arvind Prakashan, Udaipur	रु. 4,67,784.00
	Total	**रु. 13,11,022.00**

   उपरोक्त फर्मों को कार्यपरिषद् से अनुमोदन की प्रत्याशा में कुल राशि रुपए 13,11,022.00 (रुपए तेरह लाख ग्यारह हजार बाईस मात्र) का भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. **श्री विजय कुमार यादव, भृत्य, रसायन अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 5,33,614.00 (रुपए पाँच लाख तैंतीस हजार छः सौ चौदह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

   टीपः श्री विजय कुमार यादव, भृत्य, रसायन अध्ययनशाला का दिनांक 30.09.2024 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप नियमानुसार 2(i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 5,33,614.00 (रुपए पाँच लाख तैंतीस हजार छः सौ चौदह मात्र) का भुगतान किया जा चुका है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

4. **विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों/कर्मचारियों के अर्जित अवकाश नगदीकरण (सातवें वेतनमान एवं छठवें वेतनमान) के अंतर की राशि रु. 33,74,606.00 (रुपए तैंतीस लाख चौहत्तर हजार छः सौ छः मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों/कर्मचारियों के सातवें वेतनमान एवं छठवें वेतनमान में अर्जित अवकाश नगदीकरण के अंतर की राशि के भुगतान के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.10.2024 अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण के बिन्दु क्रमांक 04 में निर्णय लिया गया है।

कार्यपरिषद् के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कुल 38 शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सातवें वेतनमान एवं छठवें वेतनमान में अर्जित अवकाश नगदीकरण के गणना पत्रक के अनुसार अंतर की कुल राशि रु. 33,74,606.00 (रुपए तैंतीस लाख चौहत्तर हजार छः सौ छः मात्र) है।

तद्नुसार प्रथम चरण में कुल 38 सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सातवें वेतनमान एवं छठवें वेतनमान में अर्जित अवकाश नगदीकरण के अंतर की राशि रु. 33,74,606.00 (रुपए तैंतीस लाख चौहत्तर हजार छः सौ छः मात्र) छ.ग. अवकाश नियम 2010 के अवकाश नगदीकरण नियमानुसार भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

5. **श्री रमेश भगत, कनिष्ठ अधीक्षक, वित्त विभाग के भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान राशि रु. 6,00,000.00 (रुपए छः लाख मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः श्री रमेश भगत, कनिष्ठ अधीक्षक, वित्त विभाग से प्राप्त आवेदन दिनांक 6.11.2024 द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान पुत्री के विवाह हेतु राशि रु. 6,00,000.00 (रुपए छः लाख मात्र) का भुगतान किया जा चुका है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

6. **क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 18.07.2024 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।**

टीपः कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.10.2024 के बिन्दु क्रमांक 07 के निर्णयानुसार पुनः प्रस्तुत। कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

7. **ट्रैकसूट क्रय देयक रु. 10,07,370.00 (रुपए दस लाख सात हजार तीन सौ सत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीपः विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए 1230 नग ट्रैकसूट क्रय हेतु निविदा के माध्यम से न्यूनतम दर के आधार पर फर्म New-Way Tailors & Fabrics, Beside Raj Talkies, G.E. Road, Raipur (C.G.) को पत्र क्र. 591/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 29.08.2024 के द्वारा आदेशित किया गया था।

संबंधित फर्म के द्वारा सामग्री आपूर्ति करने के पश्चात् देयक क्र. 135 दिनांक 14.10.2024 के द्वारा रु. 10,07,370.00 (रुपए दस लाख सात हजार तीन सौ सत्तर मात्र) भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त सामग्री विकास विभाग के द्वारा शारीरिक शिक्षा विभाग के मांग अनुसार आबंटित किया गया है।

अतः संबंधित फर्म को रु. 10,07,370.00 (रुपए दस लाख सात हजार तीन सौ सत्तर मात्र) के भुगतान के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. **डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत वेतन निर्धारण संशोधन उपरांत एरियर्स कुल राशि रु. 18,67,758.00 (रुपए अठारह लाख सड़सठ हजार सात सौ अंठावन मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।**

(पृष्ठ क्र. 09 से 12 तक)

टीप : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 82वीं बैठक दिनांक 20.12.2023 के पूरक सूची क्रमांक 18 में लिए गए निर्णयानुसार एवं विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 201/सा.प्रशा./2024 रायपुर दिनांक 16.01.2024 के द्वारा डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला को निलंबन काल अवधि दिनांक 17.05.2018 से 26.10.2021 तक करे कर्तव्य अवधि स्वीकार करने (न्यायिक अभिरक्षा अवधि दिनांक 27.04.2024 से 20.08.2018 तक को छोड़कर) के उपरांत विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3569/सा.प्रशा./2024 दिनांक 20.11.2019 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 1240/सा.प्रशा./2024 दिनांक 23.04. 2024 के द्वारा डॉ. अलेख कुमार साहू का छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत वेतन निर्धारण संचालनालय छ.ग. राज्य संपरीक्षा अटल नगर नवा रायपुर से अंतिम रूप से पारित होने के उपरांत विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 2372/सा.प्रशा./2024 रायपुर दिनांक 30.07.2024 के अनुसार गणना पत्रक अनुसार एरियर्स रु. 18,67,758.00 (रुपए अठारह लाख सड़सठ हजार सात सौ अंठावन मात्र) का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

गणना पत्रक अनुसार एरियर्स राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	शिक्षकों का नाम	एरियर्स की कुल राशि	सी.पी.एफ. की कटौती	आयकर की कटौती राशि	भुगतान योग्य (राशि रु. में)
1	डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि	18,67,758.00	1,94,699.00	5,60,327.00	11,12,732.00

कृपया डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक विधि अध्ययनशाला को छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 217 के तहत वेतन निर्धारण संशोधन उपरांत एरियर्स कुल राशि रु. 18,67,758.00 (रुपए अठारह लाख सड़सठ हजार सात सौ अंठावन मात्र) की भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. **अंकसूची/उपाधि प्रमाण–पत्र की छायाप्रति निःशुल्क सत्यापित करने के संबंध में विचार करना।**

टीप : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.10.2024 के बिन्दु क्रमांक 09 के निर्णयानुसार पुनः प्रस्तुत। विश्वविद्यालय द्वारा सभी संस्थाओं से प्राप्त अंकसूची एवं उपाधि प्रमाणपत्र की सत्यापन/जाँच हेतु शुल्क निर्धारित है। लेकिन केन्द्र सरकार व राज्य शासन के द्वारा पुलिस जाँच से संबंधित प्रकरणों को निःशुल्क जाँच की माँग की गई है, जिसे संकायाध्यक्षों की समिति एवं अधिवक्ता से विधिक सलाह लेकर निःशुल्क सत्यापन किया जा रहा है।

अतः पुलिस जाँच से संबंधित अंकसूची/उपाधि प्रमाण–पत्रों के निःशुल्क जाँच करने की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

10. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार,

20/11/24

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 4918 /अका./का.प/2024 रायपुर, दिनांक 20/11/2024

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप–कुलसचिव (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '93वाँ' बैठक गुरुवार दिनांक 28.11.2024 को अपराह्न 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.11.2024 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।** (पृष्ठ क्र. 01 से तक)

टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत फर्म M/S Anson Inc Research remedies, Navi Mumbai से खरीदे गए उपकरण 1600^{0}C Tubular Furnace का कुल राशि (GST सहित) रु. 26,25,500=00 (रुपए छब्बीस लाख पच्चीस हजार पाँच सौ मात्र) भुगतान Tube Furnace के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीपः पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145 दिनांक 13.01.2023) के अंतर्गत खरीदे गए शोध उपकरण 1600^{0}C Tubular Furnace हेतु फर्म M/S Anson Inc Research remedies, Navi Mumbai को उनके दिये गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) रु. 26,25,500=00 (रुपए छब्बीस लाख पच्चीस हजार पाँच सौ मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

3. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत खरीदे गए उपकरण SEM with EDS के AMC एवं lab prerequisites के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीपः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145 दिनांक 13.01.2023) के अंतर्गत खरीदे गए शोध उपकरण SEM (HITACHI MAKE FLEXSEM 1000 II WITH OXFORD EDS SYSTEM WITH OTHER ACCESSORIES) के AMC एवं lab prerequisites supply हेतु निम्नानुसार भुगतान किया जाना है :–

क्र.	उपकरण/कार्य का नाम	फर्म	**Amount to be paid**
1	Lab Requisites (Accessories)	M/s SAANS Analytical Instruments Pvt. Ltd., Kolkata	Rs. 11,26,900=00
2	AMC	M/s SAANS Analytical Instruments Pvt. Ltd., Kolkata	Rs. 3,30,400=00
3	Lab Requisites	M/s Duttco Instruments, Howrah, W.B.	Rs. 10,32,500=00

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष भुगतान की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

4. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत खरीदे गए उपकरण FTIR/Imaging Spectrometer के AMC एवं lab prerequisites के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीपः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145 दिनांक 13.01.2023) के अंतर्गत खरीदे गए शोध उपकरण FTIR/Imaging Spectrometer के AMC एवं lab prerequisites supply हेतु निम्नानुसार भुगतान किया जाना है :–

क्र.	उपकरण / कार्य का नाम	फर्म	Amount to be paid
1	AMC	M/s Thermo Fisher Scientific India Pvt. Ltd, Mayashree Logistics Centre, Bhiwandi-Distt Thane, MH	Rs. 2,12,400=00
2	Lab Requisites	M/s Duttco Instruments, Howrah, W.B.	Rs. 9,61,700=00

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष भुगतान की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

5. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में 15 शैक्षणिक एवं 16 अशैक्षणिक पदों के सृजन हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव के क्रम निम्नांकित पदों के मानदेय निर्धारण के संबंध में विचार करना –

1. सहायक प्राध्यापक (अंशकालीन)

2. खेल प्रशिक्षक / प्रशिक्षक (अंशकालीन)

3. खेल प्रशिक्षक / प्रशिक्षक (अंशकालीन)

4. खेल प्रशिक्षक / प्रशिक्षक (अंशकालीन)

5. फिजियोथेरेपिस्ट (अंशकालीन)

6. योग प्रशिक्षक (अंशकालीन)

टीपः शारीरिक शिक्षा अध्ययन शाला में 15 शैक्षणिक एवं 16 अशैक्षणिक पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन को पत्र क्रमांक 3337 / स्था. / सा.प्रशा. / 2024 दिनांक 19.11.2024 द्वारा प्रेषित किया गया है।

तद्नुक्रम में अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के प्रस्ताव अनुसार निम्नलिखित पदों के मानदेय अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के समतुल्य मानदेय निर्धारण किया जाना है –

1. सहायक प्राध्यापक (अंशकालीन)
2. खेल प्रशिक्षक / प्रशिक्षक (अंशकालीन)
3. खेल प्रशिक्षक / प्रशिक्षक (अंशकालीन)
4. खेल प्रशिक्षक / प्रशिक्षक (अंशकालीन)
5. फिजियोथेरेपिस्ट (अंशकालीन)
6. योग प्रशिक्षक (अंशकालीन)

उक्त पदों के मानदेय निर्धारण हेतु माननीय माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीपः विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक 1089 / 820 / 2024 / 38–2 दिनांक 23.07.2024 द्वारा प्रथम चरण में 60 पद + द्वितीय चरण में 60 पद इस प्रकार कुल 120 पदों पर भरे जाने की स्वीकृति प्राप्त हुआ है। उक्त स्वीकृति के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम चरण में कुल 60 पदों

के लिए संशोधित विज्ञापन क्रमांक 2895 / Estb./Gen.Adm./2024 दिनांक 03.10.2024 जारी किया गया है एवं 60 पदों का विज्ञापन किया जाना शेष है।

विश्वविद्यालय द्वारा गठित रोस्टर समिति द्वारा दिनांक 01.07.2023 की स्थिति में शैक्षणिक रिक्त पदों हेतु विश्वविद्यालय को एक युनिट मानते हुए रोस्टर बिन्दुओं का निर्धारण किया गयाहै। उक्त रोस्टर में से विज्ञापित पदों को छोड़कर शेष 54 (प्रोफेसर 08 + एसोसिएट प्रोफेसर 15 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 31) के विरूद्ध उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन की स्वीकृति एवं रोस्टर बिन्दु के आधार पर द्वितीय चरण में कुल 51 पदों (प्रोफेसर 08 + एसोसिएट प्रोफेसर 12 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 31) हेतु विज्ञापन जारी करने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत –

No.	**Name of the Department**	**Name, Number and category of Post**		
		Professor	**Associate Professor**	**Assistant Professor**
01	Geography	-	2 (UR, ST)	3 (UR, ST, OBC)
02	Socilogy & Social Work	-	1 (OBC)	-
03	Anthropology	1 (UR)	-	3 (ST, SC, UR)
04	Literature & Language	1 (ST)	-	2 (ST, UR)
05	Economics		-	1 (OBC)
06	Physics & Astrophysics	1 (UR)	1(SC)	2 (UR, ST)
07	Mathematics	1 (ST)	-	2 (SC, UR)
08	Statistics	-	2 (UR, ST)	1 (ST)
09	Chemistry	-	1 (OBC)	1 (ST)
10	Geology	-	1 (UR)	2 (UR Geology, UR Gemology)
11	Philosophy & Yoga	-	-	1 (ST)
12	Life-Science	-	1 (UR)	2 (ST Life Science, ST Bio-Chem.)
13	Environment Science	-	-	3 (UR, ST, SC)
14	Centre for Basic Science	-		
	1 Physics	1 (SC)	-	2 (UR, ST)
	2 Chemistry	1 (UR)	1 (UR)	2 (OBC, UR)
	3 Mathematics	1 (ST)	1 (OBC)	2 (ST, UR)
	4 Biology	1 (UR)	1 (UR)	2 (SC, ST)
	Total :-	**08**	**12**	**31**

7. शैक्षणिक रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी संशोधित विज्ञापन क्रमांक 2895 / Estb./ Gen.Adm./2024 रायपुर दिनांक 03.10.2024 द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के 480 डी.डी. (Demand Draft) में से 21 डी.डी. (Demand Draft) में आवेदकों द्वारा कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के स्थान पर अन्य नाम से डी.डी. बनाकर जमा किये गये आवेदन पर विचार करना।

टीप: माननीय कार्यपरिषद की 82वीं बैठक दिनांक 20.12.2023 के पूरक विषय सूची क्रमांक 15 (5) में लिए गए निर्णय अनुसार शैक्षणिक रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 3916/Estb./Gen.Adm./2023 रायपुर दिनांक 06.09.2023 एवं माननीय कार्यपरिषदके 90वाँ बैठक दिनांक 21.08.2024 के विषय सूची 5 (iii) में लिए गए निर्णय अनुसार शैक्षणिक रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी संशोधित विज्ञापन क्रमांक 2895 / Esth./Gen.Adm./2024 रायपुर दिनांक 03.10.2024 द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से 21 Demand Draft कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम पर न होकर किसी अन्य के नाम से संलग्न किए गए है। उक्त 21 आवेदन पत्रों के संबंध में निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग (विधिक प्रकोष्ठ) से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. भू– अजर्न मामले में माननीय चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रायपुर में पुनर्विलोकन याचिका खारिज होने के संबंध में।

टीपः चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रायपुर में प्रस्तुत भू–अर्जन प्रकरण (प्रकरण संख्या 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022. 11/2022, 12/2022, 13/2022, 14/2022, 16/2022, 16/2022, 17/2022 18/2022, 19/2022, 20/2022. 21/2022, 22/2022, 23/2022, 24/2022, 25/2022, 26/2022, 27/2022, 28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022 32/2022 33/2022, 34/2022) में आदेश क्रमांकः 07/2022. दिनांक–28–08–2024 को विश्वविद्यालय के पक्ष में याचिका खारिज हो गई है। उक्त निर्णय को मा. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में चुनौती देने की संभावना के लिए विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ता श्री नीरज चौबे से विधिक अभिमत प्राप्त किया गया। अधिवक्ता के विधिक अभिमत के अनुसार मा. उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने से कोई व्यावहारिक लाभ होने की संभावना नही है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में प्रदान की गई कुल राशि रू. 14,57,18,158/– का भुगतान चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रायपुर को प्रेषित किया गया था और पुनर्विलोकन याचिका खारिज होने संबंधी सूचना उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पश्चात कार्य सत्र 2023–24 का देयक राशि रू. 4,16,24,699. 42 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीपः

1. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 06/03/2023 के पूरक विषय सूची क्रमांक 04 पर University Examination-Results Automation कार्य भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, आदर्श नगर, कांके रोड, रॉची (NCCF) से कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त है।
2. उक्त फर्म से दिनांक 13/03/2023 को हुये अनुबंध पृष्ठ क्र.02 के कडिण्का (A) के अनुसार प्रति छात्र प्रति वर्ष के कार्य हेतु 421.00 जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। अनुबंध में उल्लेख किया गया है।
3. उक्त फर्म द्वारा वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा कार्य सत्र 2023–24 के परीक्षा पश्चात कार्य करने के बाद निम्नानुसार देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है :–

Bill No.GM/24-25/87			**Date 16-Nov-2024**		
S\N	**Description**	**Quantity**	**Rate**	**GST**	**Amount**
01	Post Examination Processing Semester Examination Dec.-Jan 2023-24	33,572 CAN	Rs. 210.50	18%	Rs. 70,66,906.00
02	Post Examination Processing Annual Examination 2024	1,34,006 CAN	Rs. 210.50	18%	Rs. 2,82,08,263.00
	Total	1,67,574 CAN			Rs. 3,52,75,169.00
				GST	Rs. 63,49,530.42
				Total	**Rs. 4,16,24,699.42**
INR Four Crore Sixteen Lakh Twenty Four Thousand Six Hundred Ninety Nine and Forty Two Paise Only					

प्रस्तावित भुगतान हेतु मद –F.Examination and Evaluation Administration (3) Result Processing Charge, Financial Year 2024-25,
प्रावधानित राशि – राशि रू.1100.00 लाख
प्राप्त देयक स्टॉक पंजी C-01 के पृष्ठ क. 44 में दर्ज है। अतः संबंधित फर्म को परीक्षा पश्चात कार्य की राशि रू. 4,16,24,699.42 (चार करोड़ सोलह लाख चौबीस हजार छः सौ निन्यानबे रूपये ब्यालिस पैसे मात्र) भुगतान करने के लिए स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

10. 10 नग एल 2 Manageable Switch 24 Port क्रय हेतु राशि रू. 9,00,000=00 (रुपये नौ लाख मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

<u>टीप</u> : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग/अध्ययनशाला में लगे 09 नग एल 2 Manageable Switch 24 Port खराब हो जाने के कारण एवं बैकअप में अतिरिक्त स्वीच नही होने के कारण 10 नग एल 2 Manageable Switch 24 Port क्रय किया जाना प्रस्तावित है।
उक्त सामग्री छ.ग. भंडार क्रय नियम यथा संशोधित 2024 के अनुसार Government E-Marketplace (GeM Portal) के माध्यम से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सामग्री क्रय करने पर अनुमानित व्यय रू. 9,00,000=00 (रुपये नौ लाख मात्र) होने की संभावना है। जिसका भुगतान बजट C.VIII 3) Networking/Website/Wi-Fi/Equipment/Server Upgrade में प्रावधानित राशि रू. 80=00 लाख में से किया जाना प्रस्तावित है।
अतः उक्त सामग्री क्रय करने के लिए रू. 9,00,000=00 (रुपये नौ लाख मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

11. विश्वविद्यालय शिक्षकों को 7 वें वेतनमान के एरियर्स की केन्द्रांश 50 प्रतिशत राशि भुगतान के संबंध में विचार करना।

<u>टीप</u> : विश्वविद्यालय के नियमित एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं समकक्ष कैडर को दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2019 तक की अवधि का 7वें यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर्स के राज्यांश राशि 50 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका है ।
विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत 7वें यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर्स की केन्द्रांश की राशि विमुक्त करने हेतु पत्र क्रमांक 396 /वित्त /2024 दिनांक 25.10.2024 छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय अटल नगर प्रेषित किया गया था जिसके परिपेक्ष्य में छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 2–1/2018/38–2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25.11.2024 संलग्न है।
छ.ग. शासन के पत्रानुसार विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि राजकीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 7वें वेतनमान के एरियर्स की केन्द्रांश राशि का भुगतान हेतु संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में दी जा चुकी संबंधित वर्षों की अनुदान राशि से ही उक्त भुगतान का समायोजन किया जाना होगा।
अतः विश्वविद्यालय के नियमित एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं समकक्ष कैडर को दिनांक 01.01. 2016 से 31.03.2019 तक की अवधि के 7वें यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर्स की शेष 50 प्रतिशत राशि रू. 3,65,86,733/– (तीन करोड पैसठ लाख छियासी हजार सात सौ तैतीस मात्र) शासन के पत्र के परिपेक्ष्य में भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :—

12. एकीकृत परीक्षा भवन निर्माण के लिए अंतिम देयक का भुगतान के संबंध में विचार करना।

टीप : (1) कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग कक्ष क्र. —03 रायपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 14.11.2024 में एकीकृत परीक्षा कार्य दिनांक 16.07.2024 को पूर्ण किया जाना अंकित करते हुए में कुल व्यय राशि रू. 182,83,832.00 होना लेख्य कर निर्माण की लंबित देयक को विश्वविद्यालय से उन्हें भुगतान की गई राशि से भुगतान की सैद्धांतिक अनुमति हेतु निवेदन किया गया है।

(2) कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 पूरक विषय सूची क्र. 06 में एकीकृत परीक्षा भवन के निर्माण हेतु रु. 284.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ 100प्रतिशत राशि को अग्रिम भुगतान करने स्वीकृति प्रदान किया गया है, दिनांक 26.09.2022 को 50 प्रतिशत राशि रु. 142.00 लाख लोक निर्माण विभाग को अग्रिम भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है।

(3) रूसा मद में प्राप्त अनुदान में राशि शेष नहीं बचने के कारण विश्वविद्यालय से उन्हें किये गये भुगतान राशि रु. 142.00 लाख में से निर्माण देयक रु. 15,12,845/— का भुगतान किया गया है, जिसका अनुमोदन कर लंबित अंतिम देयक रु. 64,21,742/— भुगतान करने सैद्धांतिक अनुमति प्रदान करने पत्र में लेख्य किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :—

13. सत्र 2022—23 एवं 2023—24 में समस्त संबंधित परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय को वार्षिक /सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र शुल्क की राशि रू. 10000/— भुगतान की स्थिति के बारे में अवगत कराए जाने एवं भुगतान नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय कोष में राशि जमा कराए एवं पावती रसीद की अभिप्रमाणित प्रति/मूलप्रति परीक्षा विभाग के E-Mail: rsuexam@gmail.com के माध्यम से प्रेषित किये जाने संबंधी पत्र क्रमांक 11239/परीक्षा/ केन्द्र शु./2024 दिनांक 22.11.2024 जारी किया गया है, कि सूचना ग्रहण करना।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :—

14. सहायक आयुक्त, राज्यकर के पत्र क्रमांक /स.आ./राक/रा—एक/प्रवर्तन अन्य/2/2024—25/ 2875 रायपुर दिनांक 21.10.2024 के द्वारा विभिन्न कॉलेजों से प्राप्त की गई सम्बद्धता शुल्क (Affiliation fees) पर दिनांक 01.07.2017 से 31.03.2024 तक जी.एस.टी. का भुगतान के प्रकरण के संबंध में विचार करना।

टीप : कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर, वृत्त—एक, रायपुर के पत्र ,क्रमांक/स.आ.//रा. एक/जीएसटी/1/2024—25/2149 दिनांक 29.07.2024 के अनुक्रम में विभिन्न कॉलेजों से प्राप्त की गई संबंद्धता शुल्क की जानकारी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3957/अका. /संबद्धता शुल्क/2024 रायपुर, दिनांक 01.08.2024 को प्रेषित किया गया था।

पत्र प्रेषित किये जाने के उपरांत सहायक आयुक्त, राज्यकर के पत्र क्रमांक /स.आ. /राक/रा—एक/प्रवर्तन अन्य/2/2024—25/ 2875 रायपुर दिनांक 21.10.2024 के द्वारा विभिन्न कॉलेजों से प्राप्त की गई सम्बद्धता शुल्क (Affiliation fees) पर जी.एस.टी. का भुगतान करने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों से प्राप्त राशि व जी. एस.टी. कार्यालय द्वारा मांग की जा रही राशि की जानकारी निम्नानुसार है —

क्र.	अवधि	वि.वि. द्वारा महा. से प्राप्त राशि	जीएसटी कार्यालय द्वारा मांग राशि
1	01.07.2017 से 31.03.2018	46,02,040 / –	25,95,902 / –
2	01.04.2018 से 31.03.2019	48,42,850 / –	25,78,268 / –
3	01.04.2019 से 31.03.2020	49,69,400 / –	24,84,188 / –
4	01.04.2020 से 31.03.2021	50,77,870 / –	23,75,888 / –
5	01.04.2021 से 31.03.2022	51,77,200 / –	22,52,584 / –
6	01.04.2022 से 31.03.2023	53,76,060 / –	21,64,922 / –
7	01.04.2023 से 31.03.2024	55,50,700 / –	20,54,914 / –
	कुल राशि	**3,55,96,120 / –**	**1,65,04,666 / –**

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

<u>साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

15. **साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला में स्थापित संत शदाराम साहिब सिंधी अध्ययन केन्द्र के लिए राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली (NCPSL) द्वारा दिए गए कारपस फंड में से इम्प्रेस्ट राशि रूपये 10,000 / – (रुपए दस हजार मात्र) विभागीय खर्च हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित एवं संत शदाराम साहिब सिंधी अध्ययन केन्द्र में डिप्लोमा कोर्स शैक्षणिक सत्र 2020–2021 से 2023–24 तक चार वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। वर्तमान में 2024–25 में भी डिप्लोमा इन सिंधी के साथ एम.ए. सिंधी पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है।

विश्वविद्यालय में दिनांक 1 मई 2019 को स्थापित संत शदाराम साहिव सिंधी अध्ययन केन्द्र के लिए राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली (NCPSL) द्वारा दिए गए कारपस फंड में से इम्प्रेस्ट राशि रूपये 10,000 / – (दस हजार रू.) विभागीय खर्च हेतु प्रशासकीय स्वीकृति देने एवं कार्यपरिषद की प्रस्तावित बैठक दिनांक 28.11.2024 में अनुमोदन करने के लिए नस्ती प्रस्तुत ।

<u>सामान्य प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

16. **डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, से.नि. क्रीड़ा अधिकारी के प्रकरण पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.06.2024 के निर्णयानुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं का बिन्दुवार विधिक परीक्षण उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) के दो अधिवक्ताओं, श्री नीरज चौबे एवं श्री अविनाश मिश्रा से प्राप्त बंद लिफाफा के संबंध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.10.2024 के बिन्दु क्रमांक 08 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित संक्षेपिका सहित दो पृथक–पृथक अधिवक्ताओं के विधिक अभिमत के बंद लिफाफे पर विचार हेतु पुनः प्रस्तुत।**

<u>टीप</u>: डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, से.नि. क्रीड़ा अधिकारी के प्रकरण से सम्बन्धित संक्षेपिका सहित विधिक अभिमत के बंद लिफाफे संलग्न कर प्रस्तुत है।

17. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

23/11/24

कुलसचिव